



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2189]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2011/अग्रहायण 1, 1933

No. 2189]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2011/AGRAHAYANA 1, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2011

का.आ. 2610(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों के विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पुर्जों, संघटकों और संयोजनों के लिए आटोमोटिव उद्योग मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	एआईएस सं.	विषय
(1)	(2)	(3)
1.	एआईएस-001 (भाग 1) (पुनरीक्षण 1) : 2011	बाडी वर्क यानों के साथ एम.एन. और एल. प्रवर्ग के उपयोग के लिए आशयित परोक्ष दृष्टि के लिए युक्तियों का अनुमोदन
2.	एआईएस-001 (भाग 2) (पुनरीक्षण 1) : 2011	चालक से युक्त भागतः या पूर्णतः बाडी वर्क के बिना एल प्रवर्ग यानों पर उपयोग के लिए आशयित पश्च दृश्य दर्पण-विनिर्देश
3.	एआईएस-002 (भाग 2) (पुनरीक्षण 1) : 2011	चालक से युक्त भागतः या पूर्णतः बाडी वर्क के बिना एल प्रवर्ग यानों पर उपयोग के लिए आशयित पश्च दृश्य दर्पण-संस्थापन अपेक्षाएं
4.	एआईएस-009 (पुनरीक्षण 1) : 2011	एल प्रवर्ग के यानों, उनके ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलरों के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेतक युक्तियों की संस्थापन अपेक्षाएं
5.	एआईएस-010 (भाग 1) (पुनरीक्षण 1) : 2010	सेमेट्रिकल पार्सिंग बीम और चालन बीम या दोनों को उत्सर्जित करने वाले हैडलैम्प और जो फिलामेंट लैम्प और/या एल.ई.डी. मांडुल्स से सुसज्जित हों
6.	एआईएस-010 (भाग 2) (पुनरीक्षण 1) : 2010	सेमेट्रिकल पार्सिंग बीम और चालन बीम या दोनों को उत्सर्जित करने वाले हैडलैम्प और जो फिलामेंट लैम्प या गैस स्त्राव प्रकाश स्रोत से सुसज्जित हों
7.	एआईएस-010 (भाग 3) (पुनरीक्षण 1) : 2010	अग्र प्रास्थिति लैम्प, पश्च प्रास्थिति लैम्प, स्टाप लैम्प, दिशा उपदर्शक पश्च-रजिस्ट्रीकरण प्लेट प्रदीप्त युक्तियां और प्रवर्ग एल और उनके ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों के यानों के लिए प्रतिवर्तित लैम्प
8.	एआईएस-010 (भाग 4) (पुनरीक्षण 1) : 2010	गैस स्त्राव प्रकाश स्रोतों से सुसज्जित हैडलैम्प

(1)	(2)	(3)
9.	एआईएस-010 (भाग 5) (पुनरीक्षण 1) : 2010	प्रकाश और प्रकाश संकेतक युक्तियों से उत्सर्जित प्रकाश के रंग की क्रोमेटिक समन्वय की अपेक्षाएं
10.	संशोधन सं.-6 : एआईएस-024 का 2010 (वर्जन 3) (पुनरीक्षण 1) : 2002	सुरक्षा और सीएनजी से प्रचालित यानों के प्रकार अनुमोदन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं
11.	संशोधन सं.-6 : एआईएस-028 का 2010 (वर्जन 3) : 2002	आंतरिक दहन के इंजन वाले यानों में सी.एन.जी. ईंधन के प्रयोग के लिए व्यवहार संहिता
12.	एआईएस-034 (भाग 1) (पुनरीक्षण 1) : 2010	शक्ति (पावर) चालित यानों और उनके ट्रेलरों पर अनुमोदित लैम्प इकाइयों में उपयोग के लिए फिलामेंट लैम्प
13.	एआईएस-034 (भाग 2) (पुनरीक्षण 1) : 2010	शक्ति (पावर) चालित यानों के अनुमोदित गैस स्राव लैम्प इकाइयों में उपयोग के लिए गैस स्राव प्रकाश स्रोत
14.	संशोधन सं.-3 : एआईएस-037 का 2010 : 2004	टाइप अनुमोदन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा संकटकालीन संघटकों के लिए उत्पादन की स्थापन अनुरूपता
15.	संशोधन सं.-2 : एआईएस-043 का 2010 : 2005	कृषि ट्रैक्टर और ट्रेलर के समुच्चय के लिए ब्रेक प्रणाली और निष्पादन अपेक्षाएं
16.	संशोधन सं.-3 : एआईएस-043 का 2011 : 2005	कृषि ट्रैक्टर और ट्रेलर के समुच्चय के लिए ब्रेक प्रणाली और निष्पादन अपेक्षाएं
17.	संशोधन सं.-1 : एआईएस-049 का 2011 : 2003	बैटरी प्रचालित यानों के लिए सीएमवीआर प्रकार अनुमोदन
18.	एआईएस-057 (पुनरीक्षण 1) : 2010	शक्ति (पावर) प्रचालित यानों और उनके ट्रेलरों के पूर्व प्रतिबिंबित युक्तियां
19.	एआईएस-060 : 2010	ऑटोमोबाइल के लिए नियंत्रक केबलों पर साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत
20.	संशोधन सं.-1 : एआईएस-063 का 2010 : 2005	स्कूल बसों के लिए अपेक्षाएं
21.	संशोधन सं.-1 : एआईएस-072 का 2011 : 2009	शक्ति (पावर) चालित यानों, के बालक अधिभोक्ता के लिए नियंत्रक युक्तियां (बालक नियंत्रक प्रणाली)
22.	संशोधन सं.-1 : एआईएस-084 का 2011 (भाग 1) : 2008	मोटरयानों के ग्लेज्ड सतह (विंडस्क्रीन) की डेमेस्टिंग प्रणालियां
23.	संशोधन सं.-1 : एआईएस-084 का 2011 (भाग 2) : 2008	मोटरयानों के ग्लेज्ड सतह (विंडस्क्रीन) की डिफ्रॉस्टिंग प्रणालियां
24.	एआईएस-100 : 2001	मोटरयान से टक्कर की दशा में पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क उपयोक्ताओं का संरक्षण

टिप्पण.—ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) के ब्यौरे आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे की वेबसाइट अर्थात् www.araiindia.com पर उपलब्ध हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.morth.nic.in के माध्यम से योजक को भी स्थापित किया गया है।

[फा. सं. एन.एच.-11028/9/2008-एमवीएल (वाल. 1)]

नितिन रमेश गोकर्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2011

S.O. 2610(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby notifies the Automotive Industry Standards for various parts, components and assemblies used in the manufacture of motor vehicles as specified in the following table, namely :—

TABLE

Sl. No.	AIS No.	Subject
(1)	(2)	(3)
1.	AIS-001 (Part 1) (Rev. 1): 2011	Approval of Devices for Indirect Vision Intended for use on M, N and L Category with Bodywork Vehicles
2.	AIS-001 (Part 2) (Rev. 1): 2011	Approval of Rear View Mirrors Intended for use on L Category Vehicles without Bodywork Partly or Wholly Encloses the Driver-Specification
3.	AIS-002 (Part 2) (Rev. 1): 2011	Approval of Rear View Mirrors Intended for use on L Category Vehicles without Bodywork Partly or Wholly Encloses the Driver-Installation Requirements
4.	AIS-009 (Rev. 1): 2011	Installation Requirements of Lighting and Light-signalling Devices for L Category Vehicles, their Trailers and Semi-Trailers
5.	AIS-010 (Part 1) (Rev. 1): 2010	Headlamps emitting an Asymmetrical Passing Beam or a Driving Beam or both and equipped with Filament Lamps and/or LED Modules
6.	AIS-010 (Part 2) (Rev. 1): 2010	Headlamps emitting a Symmetrical Passing Beam or a Driving Beam or Both and equipped with Filament Lamps or Gas-Discharge Light Sources
7.	AIS-010 (Part 3) (Rev. 1): 2010	Front Position Lamps, Rear Position Lamps, Stop Lamps, Direction Indicators, Rear-Registration Plate Illuminating Devices and Reversing Lamp for Vehicles of Category L and their Trailers and Semi-trailers
8.	AIS-010 (Part 4) (Rev. 1): 2010	Headlamps equipped with Gas Discharge Light Sources
9.	AIS-010 (Part 5) (Rev. 1): 2010	Requirements of Chromaticity Co-ordinates of Colour of Light emitted from Lighting and Light-Signalling Devices
10.	Amd No. 6 : 2010 to AIS-024 (Version 3) : 2002	Safety and Procedural Requirements for Type Approval of CNG operated Vehicles

(1)	(2)	(3)
11.	Amd No. 1 : 2010 to AIS-028 (Version 3) : 2002	Code of Practice for use of CNG Fuel in Internal Combustion Engined Vehicles
12.	AIS -034 (Part 1) (Rev. 1) : 2010	Filament Lamps for use in Approved Lamp Units on Power-driven Vehicles and their Trailers
13.	AIS -034 (Part 2) (Rev. 1) : 2010	Gas-discharge Light Sources for use in Approvaed Gas-discharge Lamp units of Power-driven Vehicles
14.	Amd. No. 3 : 2010 to AIS-037 : 2004	Procedure for Type Approval and Establishing Conformity of Production for Safety Critical Components
15.	Amd. No. 2 2010 to AIS-043 : 2005	Braking System and Performance Requirements for the Combination of Agricultural Tractor and Trailer
16.	Amd. No. 3 2011 to AIS-043 : 2005	Braking System and Performance Requirements for the Combination of Agricultural Tractor and Trailer
17.	Amd. No. 1 2011 to AIS-049 : 2003	CMVR Type Approval for Battery Operated Vehicles
18.	AIS -057 (Rev. 1) : 2010	Retro-Reflecting Devices for Power Driven Vehicles and their Trailers
19.	AIS -060 : 2010	General Guidelines on Control Cables for Automobiles
20.	Amd. No. 1 2010 to AIS-063 : 2005	Requirements for School Buses
21.	Amd. No. 1 2011 to AIS-072 : 2009	Restraining Devices for Child Occupants of Power-Driven Vehicles ("Child Restraint System")
22.	Amd. No.1 2011 to AIS-084 (Part 1) : 2008	Demisting Systems of Glazed Surfaces (Wind Screen) of Motor Vehicles
23.	Amd. No.1 2011 to AIS-084 (Part 2) : 2008	Defrosting Systems of Glazed Surfaces (Wind Screen) of Motor Vehicles
24.	AIS-100 : 2010	Protection of Pedestrian and other Vulnerable Road Users in the event of a Collision with a Motor Vehicle

Note.—The details of Automotive Industry Standards (AIS) are available on the website of Automotive Research Association of India, Pune i.e. www.araiindia.com and a link has also been established through the website of Ministry of Road Transport and Highways i.e. www.morth.nic.in

[F. No. RT-11028/9/2008-MVL (Vol. I)]
NITIN RAMESH GOKARN, Jt. Secy.